रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 1987/वैशाख 14, 1909
No. 226] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 1987/VAISAKHA 14, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 134/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 451(अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2905.90 के अंतर्गत आने वाले मोनो एथीलीन ग्लाइकोल

को, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :—

परन्तु यह तब जब कि ऐसे मोनो एथीलीन ग्लाइकोल का पालीएस्टर चिप्स या पालीएस्टर स्टेपल फाइबर और टो, जिसके अंतर्गत चूड़ा है, या पालीएस्टर फिलामेंट सूत के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[फा. सं. 121/1/87-के.उ.शु.III (टी. आर. यू).]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th May, 1987

NOTIFICATION

No. 134|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 451 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Mono-ethylene Glycol falling under sub-heading No. 2905.90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule :

Provided that such Mono-ethylene Glycol is used in the manufacture of Polyester Chips or Polyester Staple fibre and tow, including tops, or polyester filament yarn and the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[F. No. 121|1|87-CX.III (TRU).]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987